

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(बजट अनुभाग) वित्त प्रभाग

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.
दिनांक: 10.12.2014

फा.सं.1-21/2005-06/बजट (आर.टी.आई.) भाग-V

सेवा में,

श्रीमती रेनु भारद्वाज,
प्रशासन अधिकारी,
आर.टी.आई. प्रकोष्ठ,
अ.भा.आ.सं।


विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करने संबंधी।

प्रिय महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने दिनांक 16.10.2014 के आवेदन का अवलोकन करें जो कि दिनांक 12.11.2014 के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (वित्त) के पत्र सं.264/आर.टी.आई./2014/ सी.पी.आई.ओ. (वित्त) से दिनांक 15.11.2014 के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ के पत्र संख्या एफ.33-766/ 2014/आर.टी.आई.-स्था.। के द्वारा दिनांक 20.11.2014 को प्राप्त हुआ। उपर्युक्त आर.टी.आई. आवेदन का वित्त प्रभाग से संबंध नहीं है, अपेक्षित सूचना संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

वित्त एवं लेखा प्रभाग के अपीलीय प्राधिकारी श्री विजय सिंह, वित्त सलाहकार, भूतल, प्रशासनिक खण्ड, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-29 हैं।

भवदीय,


(सतीश खुराना)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी तथा
वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी (वित्त)

प्रतिलिपि:-

1. सुश्री सुमंता चक्रवर्ती, उपसचिव/पीआईओ, उपराज्यपाल सचिवालय, राज निवास, दिल्ली-110054 (दिनांक 21.10.2014 का पत्र सं. 1693/आरटीआई/14/आरएन/3813 देखें)।
2. सुश्री/श्री सिन्धू पाटिल, अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, निर्माण भवन, नई दिल्ली। (दिनांक 31.10.2014 का पत्र सं. ए.60011/एफटीएस/236534/ 2014-आरटीआई प्रकोष्ठ देखें)।
3. श्री एस.एन. शर्मा, अवर सचिव एवं के.ज.सू.अ., स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, निर्माण भवन, नई दिल्ली। (दिनांक 05.11.2014 के पत्र सं. 282/आरटीआई/ बी-13019/1/2014-एमई-। देखें)।
4. श्री माहिर हुसैन, निवासी 32/454, ब्लॉक 32, त्रिलोक पुरी पूर्व, दिल्ली-91 (भारत)
5. वित्त सलाहकार एवं अपीलीय प्राधिकारी के वैयक्तिक सहायक
6. कार्यालय केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (वित्त प्रभाग), एम्स।
7. कंप्यूटर सुविधा- इस अनुरोध के साथ कि इसे कृपया आर.टी.आई. के तहत एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करें।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(बजट अनुभाग) वित्त प्रभाग

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

दिनांक: 10.12.2014

फा.सं.1-21/2005-06/बजट (आर.टी.आई.) भाग-V

सेवा में,

श्रीमती रेन्ू भारद्वाज,
प्रशासन अधिकारी,
आर.टी.आई. प्रकोष्ठ,
अ.भा.आ.सं।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रदान करने संबंधी।

प्रिय महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने दिनांक 16.10.2014 के आवेदन का अवलोकन करें जो कि दिनांक 12.11.2014 के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (वित्त) के पत्र सं.269/आर.टी.आई./2014/ सी.पी.आई.ओ. (वित्त) से दिनांक 26.11.2014 के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ के पत्र संख्या एफ.284/आर.टी.आई./बी-13019/1/2014-एमई-1 के द्वारा दिनांक 14.11.2014 को प्राप्त हुआ। संदर्भित बिन्दु संख्या 1 वित्त प्रभाग, एम्स (मुख्य) से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:-


बिन्दु सं. 1- संस्थान द्वारा वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान शैक्षिक, अनुसंधान एवं रोगी उपचार हेतु "योजना" तथा "गैर-योजना" के तहत भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दोनों से एक मुश्त अनुदान राशि प्राप्त की है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजना	गैर-योजना
2010-11	380.00	605.00
2011-12	412.35	650.00
2012-13	470.00	788.70
2013-14	485.00	870.00

वित्त एवं लेखा प्रभाग के अपीलीय प्राधिकारी श्री विजय सिंह, वित्त सलाहकार, भूतल, प्रशासनिक खण्ड, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली-29 हैं।

भवदीय,


(सतीश खुराना)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी तथा
वित्त एवं मुख्य लेखा अधिकारी (वित्त)

प्रतिलिपि:-

1. सुश्री सुमंता चक्रवर्ती, उपसचिव/पीआईओ, उपराज्यपाल सचिवालय, राज निवास, दिल्ली-110054 (दिनांक 21.10.2014 के पत्र सं. 1693/आरटीआई/14/आरएन/3813 देखें)।
2. सुश्री/श्री सिन्धू पाटिल, अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, निर्माण भवन, नई दिल्ली। (दिनांक 31.10.2014 का पत्र सं. ए.60011/एफटीएस/236534/ 2014-आरटीआई प्रकोष्ठ देखें)।
3. श्री एस.एन. शर्मा, अवर सचिव एवं के.ज.सू.अ., स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, निर्माण भवन, नई दिल्ली। (दिनांक 05.11.2014 का पत्र सं. 282/आरटीआई/ बी-13019/1/2014-एमई-1 देखें)।
4. श्री माहिर हुसैन, निवासी 32/454, ब्लॉक 32, त्रिलोक पुरी पूर्व, दिल्ली-91 (भारत)
5. वित्त सलाहकार एवं अपीलीय प्राधिकारी के वैयक्तिक सहायक
6. कार्यालय केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (वित्त प्रभाग), एम्स।
7. कंप्यूटर सुविधा- इस अनुरोध के साथ कि इसे कृपया आर.टी.आई. के तहत एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करें।